न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 64 / 2022 FSSA

1. सरकार जरिये श्री संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी
   कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें तिलक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जल सिंह खाद्य कारोबारकर्ता एवं नोमिनी
   मैसर्स दाऊ जी मिल्क फूड प्रा. लि. गांव टेकरी जाफरान, आगरा–जयपुर हाइवे, तहसील महवा जिला दौसा, निवासी गुरूजी वाला मौहल्ला, लक्ष्मणगढ रोड, कठूमर जिला अलवर।
2. मैसर्सः–दाऊ जी मिल्क फूड प्रा. लि. गांव टेकरी जाफरान, आगरा–जयपुर हाइवे, तहसील महवा जिला दौसा।

— अभियुक्तगण—

(परिवाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) / 51, 58 के तहत)

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त बावजूद तामील अनुपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 12.07.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री संदीप अग्रवाल को राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग2(क) के क्रमांक 57 पर अंकितानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा निदेशक(जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 308 दिनांक 4.9.2017 एवं 321 दिनांक 13.09.2017 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य क्षेत्र केन्द्रीय दल निदेशालय जयपुर किया गया है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य क्षेत्र समस्त राजस्थान का है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपने निरीक्षण दल के साथ दिनांक 24.08.2022 को 04:00 PM पर मैसर्सः–दाऊ जी मिल्क फूड प्रा. लि. गांव टेकरी जाफरान, आगरा–जयपुर हाइवे तहसील महवा जिला दौसा पर पहुँचा। वहां पर श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जल सिंह निवासी गुरूजी वाला मौहल्ला, लक्ष्मणगढ रोड, कठूमर जिला अलवर उपस्थित मिला। श्री अशोक कुमार ने स्वयं को मैसर्स दाऊ जी मिल्क फूड प्रा. लि. गांव टेकरी जाफरान, आगरा–जयपुर हाइवे तहसील महवा जिला दौसा का खाद्य कारोबारकर्ता एवं नोमिनी होना बताया एवं मौके पर स्वयं के आई डी प्रूफ की प्रति, खाद्य लाईसेन्स, फार्म IX नोमिनेशन पत्र एवं अन्य दस्तावेजो की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर विक्रेता के संस्थान में लगभग 150 पैक टिन(भरती 15 किलोग्राम) घी (राधागोविन्द) एगमार्क स्पेशल ग्रेड आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। जिसमें अवमानक का शक होने पर इसकी जांच एफएसएस एक्ट के तहत कराने के लिये एक टिन को हिला मिलाकर ढक्कन के विपरीत दिशा से खुलवाकर 800 ग्राम घी (राधागोविन्द) एगमार्क स्पेशल ग्रेड वास्ते नमूना जांच करवाने हेतु चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतल में खरीदा। जिसकी कीमत 400 / –रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 800 ग्राम घी (राधागोविन्द) एगमार्क स्पेशल ग्रेड को 4 प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक बोतल के मुंह पर ढक्कन लगा कर कस कर एयरटाइट बन्द किया। प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर लेबल चिपकाये। जिस पर डी.ओ. के कोड व सीरियल नम्बर ए.जी.–2996 खाद्य पदार्थ घी (राधागोविन्द) एगमार्क स्पेशल ग्रेड का विवरण एवं नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाहान एवं विक्रेता ने लेबलों पर हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार खाकी कागज में लपेटकर उस पर पेपर स्लिप नमूना कोड एवं क्रमांक ए.जी.–2996 नीचे से उपर तक नियमानुसार गोंद से चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार सील चपडी लगाई एवं चारो नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये एवं गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौका फर्द मौके पर तैयार की पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह एवं विक्रेता ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की जिस पर खाद्य विश्लेषक जयपुर का पता अंकित किया एवं नमूना सील इम्प्रेशन अंकित किया। फार्म सं. 6 की एक–एक प्रति प्रत्येक नमूना भाग के साथ रखकर नमूनों को पुनः आउटर कवर में लपेटकर मोटे धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर सील चपडी किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक जयपुर का पता अंकित किया। उक्त एक सील्ड नमूना एवं सील्ड लिफाफा अगले कार्य दिवस को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। उक्त नमूने के द्वितीय व तृतीय भाग को अभिहित अधिकारी दौसा को अगले कार्य दिवस को एवं चतुर्थ भाग अगले कार्य दिवस को जमा करवाये।

उक्त खाद्य पदार्थ घी (राधागोविन्द) एगमार्क स्पेशल ग्रेड की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस. /2682/एक्ट/2022/2727 दिनांक 07.09.2022 प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को ज्ञात हुआ उक्त खाद्य पदार्थ घी (राधागोविन्द) एगमार्क स्पेशल ग्रेड का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अवमानक (substandard) पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त बावजूद तामील उपस्थित न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./2682/एक्ट/2022/2727 दिनांक 07.09.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (राधागोविन्द) एगमार्क स्पेशल ग्रेड के नमूने में **Foreign Fat present** होने के कारण तथा उक्त नमूने का फैटी एसिड प्रोफाइल घी के फैटी एसिड प्रोफाइल से मेल नहीं खाने के कारण अवमानक (substandard) पाया गया है। जो कि रेगुलेशन नम्बर **2.3.7(2) of food safety and standards (Prohibitions and restricition on sales) Regulation 2011** तथा धारा **3(1(zx) of food safety and standard act 2006** का उल्लंघन है। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अवमानक **(substandard)** खाद्य पदार्थ घी (राधागोविन्द) एगमार्क स्पेशल ग्रेड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है। जो कि धारा 51 व 58 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

Web Copy Not Official

प्रकरण संख्या : 64/2022 **FSSA**

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./2682/एक्ट/2022/2727 दिनांक 07.09.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ घी (राधागोविन्द) एगमार्क स्पेशल ग्रेड का नमूना अवमानक **(substandard)** स्तर का पाया गया है। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उप धारा 2(**II**) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 व 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अवमानक **(substandard)** खाद्य पदार्थ घी (राधागोविन्द) एगमार्क स्पेशल ग्रेड का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जलसिंह मैसर्सः– दाऊजी मिल्क फूड प्रा. लि. गांव टेकरी जाफरान आगरा जयपुर हाइवे तहसील महवा जिला दौसा निवासी गुरूजी वाला मौहल्ला, लक्ष्मणगढ रोड, कठूमर जिला अलवर पर 20000/– (अक्षरे बीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 12.07.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 12.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/**FSSA**/ दिनांकः– .07.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्री संदीप अग्रवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें तिलक मार्ग, सी–स्कीम जयपुर ।
2. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री जल सिंह खाद्य कारोबारकर्ता एवं नोमिनी
   मैसर्स दाऊ जी मिल्क फूड प्रा. लि. गांव टेकरी जाफरान, आगरा–जयपुर हाइवे, तहसील महवा जिला दौसा, निवासी गुरूजी वाला मौहल्ला, लक्ष्मणगढ रोड, कठूमर जिला अलवर।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा